संख्या– 878 / पी0एस0ए0जी0–कैम्प / 2020
दिनॉक– अप्रैल, 09 ,2020

सेवा में,

निदेशक मण्डी / समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः किसानों के गेहूँ की खरीद कराये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में नये गेहूँ की आवक अनेक मण्डियों में प्रारम्भ हो गयी है और इस क्रम में मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अनुसार दिनांक 08.04.2020 तक लगभग 1.42 लाख कुन्तल की आमद मण्डियों में हो चुकी है। यह भी संज्ञान में आया है कि नये गेहूँ की आवक प्रमुख कुछ मण्डलों बुन्देलखण्ड, आगरा एवं कानपुर में अधिक हुई है तथा शेष में भी निकट भविष्य में बढ़ेगी।

यह आवश्यक है कि लॉक डाउन की अवधि में खाद्यान्न की मण्डियों का समुचित संचालन हो और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचाव के समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित रूप से हाथ धोना, सेनिटाइजेशन, चेहरा ढक कर कार्य करना इत्यादि का भी कड़ाई से अनुपालन हो।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह अपेक्षा है कि कृपया स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न मण्डियों के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी रणनीति तय कर लें जिससे कि किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके और कोरोना वायरस से बचाव का भी अनुपालन हो। इस हेतु निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार किया जा सकता हैः–

(i)–मुख्य अनाज मण्डियों के साथ साथ मण्डी परिषद के अधीन अन्य मण्डी स्थलों (उप मण्डी स्थल, AMH, RIN) में भी गेहूँ व अन्य फसलों की खरीद करायी जाये जिससे मुख्य मण्डियों में किसानों का दबाव कम हो सके।

(ii)–अगर आवश्यक हो तो मुख्य मण्डियों के समीप खुली जगह अथवा मैदान / अन्य सरकारी परिसरों में मण्डी के भाग को विभाजित करते हुए विकेन्द्रीकृत कर दिया जाये जिससे कि एक स्थान पर भीड़ कम हो सके और व्यापारी और किसान सुविधाजनक ढंग से स्वास्थ्य विभाग से आदेशित समस्त उपायों का अनुपालन कर क्रय विक्रय कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही पूर्व में फल व सब्जी मण्डियों में कई जनपदों ने की है।

(iii)–अगर किसी स्थान पर कृषि मण्डी परिसर में गल्ला व फल–सब्जी दोनों का व्यापार होता है तो उचित होगा कि फल–सब्जी के व्यापार को रात्रि कालीन करते हुए गल्ला के व्यापार को दिन में संचालित किया जाये जिससे कि भीड़ न होने पाये और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती रहे।

अतः आप सभी से अपेक्षित है कि कृपया स्थानीय स्तर पर नये गेहूँ की आवक और अपने खाद्यान्न मण्डियों के स्थानीय व्यापारियों को विश्वास में लेते हुए तथा सोशल डिस्टेन्स के मानकों का अनुपालन

Scanned by CamScanner

कराते हुए संचालित करायें और यह सुनिश्चित करें कि कृषकों को अपना गेहूँ मण्डियों में बेचने में कोई बाधा न हो और उन्हें खुली प्रतियोगिता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चर्तुवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /पी0एस0ए0जी0–कैम्प/2020, तद्दिनॉक।
प्रतिलिप– कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 देवेश चर्तुवेदी)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner